राजस्थान सरकार
वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक 15.2.17
संख्या 02/2017

परिपत्र

विषयः– भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत DGS&D द्वारा launch किये गये Government e-marketplace (GeM) Portal के उपयोग बाबत दिशा–निर्देश।

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (DGS&D) द्वारा देश की विभिन्न उपापन संस्थाओं को माल एवं सेवाएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Government e-Marketplace (GeM) नामक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों अथवा सेवाओं का online उपापन किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.03.2017 को जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 149 के प्रावधानानुसार GeM पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं के उपापन भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा GeM के माध्यम से ही किया जाना बाध्यकारी किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 से राज्य की समस्त उपापन संस्थाओं के लिए माल एवं सेवाओं (Goods & Services) के उपापन हेतु DGS&D द्वारा विकसित GeM portal के उपयोग की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में आंशिक रूप से छूट प्रदान करते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)/वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.05.2017 जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना दिनांक 01.05.2017 के जारी होने के पश्चात् राज्य की सभी उपापन संस्थाऐं GeM portal के माध्यम से इस पोर्टल पर उपलब्ध माल और सेवाऐं उपाप्त करने के लिए अधिकृत हो गई हैं। GeM portal के माध्यम से उपापन के लिए प्रत्येक उपापन संस्था को वित्त (SPFC) विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना आवश्यक रूप से किया जाना है।

समस्त उपापन संस्थाओं की सामान्य जानकारी हेतु GeM portal के उपयोग से संबंधित प्रक्रियाओं को समझाने के उद्देश्य से और उपापन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कठोरता से पालनार्थ निम्नांकित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.05.2017 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी। इस अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 4(1),

11, 17 एवं 46 को GeM के माध्यम से होने वाले उपापनों पर लागू रखा गया है तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम, 2013 के शेष सभी प्रावधानों से GeM portal के माध्यम से किए जाने वाले उपापनों को छूट प्रदान की गई है।

2. राज्य की कोई भी उपापन संस्था GeM portal पर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रूपये से नीचे की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, बिना कोटेशन आमंत्रित किये एक अवसर पर दस हजार रूपये तक मूल्य के उत्पाद/सेवाओं का उपापन कर सकेगी। राशि रू. दस हजार से अधिक मूल्य के उत्पाद/सेवाओं का उपापन GeM portal पर केवल बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से ही किया जावेगा।

3. सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि GeM portal के माध्यम से किए जाने वाले समस्त उपापनों में पूर्ण पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित किया जाना उपापन से जुडे प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा। उपाप्त किए जाने वाले उत्पादों अथवा सेवाओं का एवं आपूर्तिकत्ताओं/सेवाप्रदाताओं का चयन बिना किसी प्रकार के भेदभाव के वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. GeM portal पर उपापन हेतु प्रत्येक उपापन संस्था एक उपापन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे–

   (i) उपापन संस्था का कार्यकारी प्रमुख अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में एक वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी

   (ii) उपापन संस्था के लेखा संवर्ग का वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी

   (iii) यदि अपेक्षित हो तो, उपापन की विषयवस्तु के विशेषज्ञ के रूप में एक तकनीकी अधिकारी।

   GeM portal से संबंधित प्रत्येक उपापन में, भले ही वह एकल स्रोत उपापन हो अथवा बिडिंग अथवा इलेक्ट्रोनिक रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया से किया गया उपापन हो, उक्तानुसार गठित समिति में क्रम संख्या (i) एवं (ii) पर अंकित अधिकारीगण का होना अनिवार्य होगा। उपापन संस्था अपने स्वविवेक से अन्य अधिकारी भी इस समिति में सम्मिलित कर सकेगी।

   यदि किसी उपापन संस्था में लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी का पद रिक्त हो तो जिस अधिकारी/कर्मचारी के पास रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार हो, वह अधिकारी/कर्मचारी उक्त समिति के सदस्य के रूप में लिया जाएगा। यदि किसी उपापन संस्था में लेखा संवर्ग का कोई पद स्वीकृत नहीं हो (उदाहरणार्थ ग्राम पंचायत कार्यालय) तो लेखा कार्य संपादन करने हेतु उत्तरदायी कार्मिक को उक्त सदस्य समिति के सदस्य के रूप में लिया जाएगा।

5. GeM portal के माध्यम से किये गये राशि रू. एक लाख अथवा अधिक राशि के उपापन से संबंधित Bid Summary Document और आपूर्ति आदेश/कार्यादेश/स्वीकृति पत्र राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अन्तर्गत संधारित राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड किये जाने अनिवार्य होगें। साथ ही राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर इस प्रक्रिया से जनरेट होने वाले यूनिक बिड नम्बर (UBN) को इस उपापन प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त संव्यवहारों में उपयोग में लिया जायेगा। Bid Summary Document तैयार होने के तुरन्त पश्चात् और आपूर्ति आदेश/कार्यादेश/स्वीकृति पत्र जारी किये जाने के तीन दिवस के भीतर राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि GeM portal के माध्यम से किये जाने वाले उपापनों को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रकाशित करने हेतु एक पृथक मोड्यूल राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर तैयार किया जा रहा है, परन्तु जब तक उक्त नवीन मोड्यूल क्रियाशील नहीं हो जाता, तब तक उक्तानुसार उपापन को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर एकल स्त्रोत उपापन के मोड्यूल में अपलोड किया जा सकता है। इस हेतु उपापन संस्था राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर "Bid Title" शीर्षक के अन्तर्गत "Procurement through GeM" लिखते हुए उपापन का बिड टाइटल दिया जाएगा।

6. GeM portal पर किये गये प्रत्येक उपापन का इन्द्राज उपापन संस्था द्वारा संधारित किये जाने वाले उपापन रजिस्टर में किया जायेगा। GeM portal पर किये गये उपापन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात की प्रतियां सम्बन्धित उपापन पत्रावली में रखी जावेगी जिन्हें आवश्यकतानुसार निरीक्षण, अंकेक्षण आदि हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

7. प्रत्येक प्रस्तावित उपापन से पूर्व समस्त अपेक्षित प्रशासनिक, वित्तीय और आवश्यकतानुसार तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त करना और उपापन हेतु समुचित बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित उपापन संस्था का दायित्व होगा। प्रत्येक उपापन संस्था स्वयं को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों की सीमा तक ही उपापन के लिए अधिकृत होगी।

8. GeM portal पर दिये गये पंजीकरण संबंधी दिशानिर्देश, केता संस्थाओं के लिए नियम व शर्ते, बोली की प्रक्रियाएँ, क्रय सम्बन्धी वित्तीय सीमाएँ आदि उपापन संस्थाओं पर लागू रहेंगी। समस्त उपापन संस्थाओं से अपेक्षा है कि GeM portal पर उपलब्ध उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual), नियम व शर्ते, अन्य दिशानिर्देश आदि को समुचित प्रकार से समझ कर ही GeM portal पर उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे। अतः उपापन से पूर्व GeM portal पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजों आदि का पूर्ण अध्ययन करना एवं उनकी पालना सुनिश्चित करना उपापन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व होगा। अपूर्ण जानकारी अथवा आधी–अधूरी तैयारी से किये गये उपापन के कारण यदि राज्य सरकार पर अथवा सम्बन्धित

उपापन संस्था के विरूद्ध कोई अनावश्यक दायित्व उत्पन्न होता है अथवा हानि पहुँचती है तो उसका दायित्व संबंधित उपापन संस्था के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का होगा। अतः उपापन संस्था को किसी विषयवस्तु के उपापन के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संशय होने अथवा अस्पष्टता होने की स्थिति में उपापन प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त (SPFC) विभाग की हैल्पलाइन (0141–2743455) अथवा DGS&D, भारत सरकार (हैल्पडेस्कः 011–43505211, 011–43505213) से आवश्यक स्पष्टीकरण दूरभाष/ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. प्रत्येक उपापन संस्था के उपापन से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी https://gem.gov.in वेबसाईट खोलकर सर्वप्रथम उक्त साईट के मुख्य पृष्ठ पर training मॉड्यूल में उपलब्ध प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों तथा support मॉड्यूल के अन्तर्गत user manual, terms & conditions, guidelines आदि का गहनता से अध्ययन करेगें तथा समस्त प्रकियाओं को भली भांति एवं समुचित प्रकार से समझने के उपरान्त ही किसी उपापन प्रकिया को प्रारम्भ किया जायेगा। GeM portal पर विभिन्न प्रकार की माल (Goods)/उत्पाद (products) और सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपापन संबंधित उपापन संस्था द्वारा निर्धारित प्रकियाओं की पालना करते हुए किया जा सकता है।

10. GeM portal पर उपाप्त किये उत्पादों अथवा सेवाओं के विरूद्ध समयबद्ध भुगतान किये जाने को अत्यधिक महत्ता दी गई है। वर्तमान मे राज्य की IFMS व्यवस्था को GeM portal से link नहीं किया गया है, अतः IFMS और GeM portal के मध्य link स्थापित होने और इस हेतु समुचित आदेश जारी किये जाने तक, उक्त GeM portal के माध्यम से उपाप्त किये जाने वाले उत्पादों अथवा सेवाओं का भुगतान नियमानुसार राज्य सरकार के विभागों के अन्तर्गत वर्तमान में चल रही कोष कार्यालय व्यवस्था के माध्यम से किया जावेगा। राज्य सरकार के विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य उपापन संस्थाओं जैसे स्थनीय निकायों, सोसायटीज, PSU's, आदि में लागू वर्तमान भुगतान व्यवस्था के अनुरूप ही किया जाता रहेगा परन्तु समस्त सम्बन्धित उपापन संस्थाओं (राजकीय विभागों एवं अन्य उपापन संस्थाओं) का यह दायित्व होगा कि GeM portal पर निर्धारित समय सीमा में भुगतान किया जावे। इस हेतु आवश्यकतानुसार विक्रेता फर्म के बैंक खाते संबंधी विवरण प्राप्त कर RTGS/ NEFT आदि Electronic माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

11. GeM portal के माध्यम से उपाप्त उत्पादों अथवा सेवाओं के संबंध में निश्चित की गई समय–सीमाओं (time-lines) के अनुसार कार्रवाई संपादित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए GeM portal के माध्यम से उपाप्त उत्पादों को प्राप्त किये जाने के 10 दिवस के भीतर उक्तानुसार प्राप्त उत्पादों के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने अथवा ना होने का विनिश्चिय उपापन संस्था द्वारा समुचित परीक्षण उपरान्त कर लिया जाना अनिवार्य है। यदि 10 दिवस में वांछित

कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित उपापन संस्था को उक्तानुसार उपाप्त उत्पादों को स्वीकार करना बाध्यकारी हो जाता है, सूचित रहें। इसके संबंध में पूर्ण विवरण GeM portal पर support module के अन्तर्गत दिये गये procedure for payment का अध्ययन कर समझा जाना चाहिये। इसी अनुसार उपाप्त उत्पादों अथवा सेवाओं के विरूद्ध किये जाने वाले भुगतान को भी समय–सीमाओं में बद्ध किया गया है, जिसका विवरण भी उक्त procedure for payment में उपलब्ध है।

12. GeM portal पर उपापन संस्थाओं की सहायतार्थ Support module में एक विस्तृत User manual उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उपापन संस्थाओं हेतु GeM portal पर रजिस्ट्रेशन से लेकर उपापन की पूर्ण प्रक्रिया का अत्यन्त सरल एवं सचित्र विवरण दिया गया है। प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा इसका गहनता से अध्ययन करना अपेक्षित है ताकि GeM portal के माध्यम से उपापन किए जाने की प्रक्रिया को सरल ढ़ंग से समझा जाकर नियमानुसार उपापन किया जा सके।

13. GeM portal पर उपलब्ध User manual , Terms & conditions, Procedure for payments, Guidelines for buyers, Training module आदि को पूर्णरूप से समझने के उपरान्त उपापन संस्थाओं द्वारा GeM portal पर पंजीकरण (Registration) कराया जाना चाहिये, जिसके पश्चात ही GeM portal पर क्रेता/उपापन संस्था द्वारा उपापन किया जा सकता है। GeM portal पर उपलब्ध Support module में उपलब्ध Guidelines for buyer registration के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित Primary User राजस्थान सरकार में विभागों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी होंगे। शेष उपयोगकर्ता अधिकारीगण यथा Buyers, DDOs, Consignees and PAOs की भूमिका विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी जो उनके पंजीकरण करने सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करनी होंगी।

राज्य सरकार के विभागों के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों यथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, निगम, स्थानीय निकाय, सोसायटी आदि में इन दायित्वों के लिए Primary User उस संस्था के प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा नामित संयुक्त शासन सचिव से अन्यून अधिकारी होगा एवं शेष उपयोगकर्ता अधिकारीगण यथा Buyers, DDOs, Consignees and PAOs की भूमिका संबंधित संस्था की आवश्यकतानुसार नामित संयुक्त शासन सचिव द्वारा निर्धारित की जावेगी जो उनके पंजीकरण करने सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करनी होंगी।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई उपापन संस्था GeM portal के माध्यम से उपापन करने के स्थान पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उपापन की विषयवस्तु का उक्त अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन पद्धतियों में से किसी भी पद्धति से उपापन करना चाहे तो इसके लिए प्रत्येक उपापन संस्था पूर्व की भांति ही स्वतन्त्र है। यदि कोई संस्था GeM portal के

माध्यम से माल अथवा सेवाओं का उपापन करना चाहती हो तो उक्तानुसार विहित दिशानिर्देशों एवं शर्तो के अध्यधीन ही कर सकती है, परंतु GeM portal के माध्यम से ही उपापन किया जाना किसी भी उपापन संस्था के लिए बाध्यकारी नहीं है।

समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि GeM portal पर किसी भी प्रकार के उपापन के संबंध में उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना अनिवार्य हैं और यदि GeM portal पर किसी उपापन में इन दिशा–निर्देशों की पालना के अभाव में उपापन संस्था के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जावेगी।

1.5.2017

(रामावतार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व/बजट/व्यय) विभाग
3. समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक (GeM), DGS&D, नई दिल्ली
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
6. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारीगण
7. समस्त उपापन संस्थाएं (ईमेल के माध्यम से)
8. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (एस.पी.एफ.सी.) को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु

संयुक्त शासन सचिव